

गोविन्दपुर-

अगल अधिकारी को कायातय

अभिलेख वाद संख्या— २७/२१८-१८.

वाद का प्रकार— बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिन १९५० की धारा ४(II) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

११.०३.१६

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-२०७४/रा०, दिनांक-१३.०५.२०१० सहप्रिति—श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष संघिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र। संख्या-३-खा०म०प्रिति-११९/८५/२३०८/रा०, दिनांक-०३.०९.१९८६ एवं सह-प्रतेरत राजस्व विभागीय, प्रशिपत्र संख्या-४१४/रा०, दिनांक-०९.१२.१९९८ में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजल्लआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों को जांच प्रारंभ की गयी। जांच को क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा— तुराचौल (५), थाना— ४७ खाता संख्या— ६९ स्लॉट संख्या— २३५

..... एकड़ा— ०.१५, एकड़ की भूमि जो गैरमजल्लआ खास, अनाद्वाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमावंदी उस मौजा के पंजी-॥ के जिल्द संख्या— ०। के पृष्ठ संख्या— १५२, मर जमावंदी ऐत भुजा राम मठ्टो के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचप्रशन्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के दिल्लद्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमावंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आवेश के अंदर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोइकर बंदोबस्ती के अंदर पर/ अवैध लगान निर्धारण के अंदर पर/ जाना हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारेत करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट ढोता है कि उपर्युक्त विवरणी की जारीन की सृजित जमावंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५०, की धारा ४(II) के तहत जांच किया जाना यांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमावंदी ऐत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दरताजेओं/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमावंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(II) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक— १९.३.१६ को उपर्याप्त करें।

लेखापित एवं संराधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी
१९.३.१६

13.01.18

अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी/प्रभारी अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन, नक्शा ढौहदी सहित, जमाबंदी रैयत के वंशजों द्वारा समर्पित राजस्व कागजात/शपथ पत्र/स्वघोषणा पत्र एवं संधारित पंजी ॥ के पृष्ठ संख्या 152..... जमाबंदी रैयत उत्तरारप्रमहतीपिता कंगालगढ़ोके नाम से दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में अबरद्युलक्जाने 41/62-63 खाता 69 प्लॉट 235 रकवा 15 ट्रैफ अंकित है। लगान रसीद वर्ष 68-69 से निर्गत होने का विवरण है। उक्त संकल्प के आलोक में जो वर्ष 1985 से पुर्व का सिद्ध करता है। साथ ही जमाबंदी रैयत का शपथ पत्र में उल्लेखित नामित उत्तराधिकार के रूप में १. एगडेव मट्टो पिता ८५० बाबू लाल मट्टो २. कालीयरण मट्टो ३. एलोल मट्टो ४. सुलटन प्र० महती पिता ८५० फूबीर मट्टो का प्रश्नगत सरकारी भू-खण्ड पर कृषि/आवासीय के रूप में दखलकार है। उक्त नामित उत्तराधिकारी जमाबंदी रैयत के वंशज सरकारी नौकरी/आयकर दाता के श्रेणी में नहीं है। इनके पास कुल धारित रकवा-2.00 एकड़ से कम/अधिक है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में झारखण्ड सरकार रॉची द्वारा निर्गत संकल्प में निहित शर्तों को पुरा करता है। इस आधार पर उक्त जमाबंदी को वर्तमान उत्तराधिकारियों १. एगडेव मट्टो पिता ८५० बाबू लाल मट्टो २. कालीयरण मट्टो ३. एक अन्य के नाम से नियमितिकरण करने की अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप-समाहर्ता, धनबाद को भेजे।

13/01/18
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर